

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला-राजसम

37 सन् 2017 किस्म मुकदमा धार्थना व

डा. लचन्द्र वर्मा बनाम श्री शानलाल वर्मा

आदेशिका

75/18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत "न्याय आपदे" का
 अधिनियम-2018 अन्तर्गत सेवा केन्द्र शीर्षक पर रखने
 से आज पेश (द्वि) पत्रावली का अवलोकन किया
 गया। पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध है कि
 उक्त शीर्षक की जावदी सन् 2070-73 के
 रकम संख्या 645 किरा-42 रकम 21-00-10
 प्रति राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।
 श्री श्री लंकेश्वर बाप न्यायालय में विपरीत
 है। जिससे मूल वाद के निस्तारण तक
 अस्थाई निर्दिष्टा जा जारी की जाय न्यायिक
 प्रक्रिया के अन्तर्गत जारी की जाय।
 स्वीकृत किया जायत मूल वाद के निस्तारण
 तक अस्थाई के पक्ष में विरुद्ध विपक्षीय
 के इस आशय की अस्थाई अस्थाई निर्दिष्टा
 जारी की जाती है कि नॉरे न रेकार्ड की
 प्रमाणिकता बतौर रखी जाय। पत्रावली
 केवल श्रुत होकर सब से सब
 हो। निर्णय उक्त न्यायालय में सुनाया
 गया।

सहायक क्लर्क
 (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़
 जिला-राजसमन्

